संख्या-05/2023/63-व0उ0-.2023-72(एच)/2020

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊः दिनांकः 01 मार्च,2023

विषयः- मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2804-ह0क0-विकास अनुभाग/सौर ऊ/2022-23 दिनांक 02.02.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ के बजट के सापेक्ष आपके प्रस्तावानुसार रू0 5.00 करोड़ (रू0 पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धः-

1. धनराशि का भुगतान जिस संस्था को किया जाना है उसके खातें में सीधे जमा की जायेगी।
2. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा। जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।
3. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर न्यूनतम तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-1585/63-व0उ0-2022-72(एच)/2020 दिनांक 06-12-2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।
9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपयें 5,00,00,000 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 006 लेखा शीर्षक 2851001080300 मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-175-एक्स-2022-23 दिनांक 27-02-2023 में उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

पी0 के0 पाण्डेय,
संयुक्त सचिव।

संख्या- 05/2023(1)/63-व0उ0-2023 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।